संख्याः —— /XXIV(6)2014/10(4)12

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांकः 21 अप्रैल, 2014

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत् पक्ष (Plan) के अन्तर्गत बचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 318/XXVII(1)/2014 दिनांकः 18 मार्च, 2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष (Plan) में कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के कार्मिकों के वेतन तथा उससे सम्बन्धित वेतन भत्तों के भुगतान हेतु वचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि ₹401.74 लाख के सापेक्ष न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर प्रथम किश्त के रूप में **₹ 300.00 लाख/–(₹ तीन करोड मात्र)** की धनराशि निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) उक्त व्यय करते समय वित्त विभाग के उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या–: 318/XXVII(1)/2014 दिनांकः 18 मार्च, 2014 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का तथा तद्क्रम में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चत किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की गयी धनराशि जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा यथा आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किश्तों में किया जायेगा।

(iii) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमोंव स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(iv) व्यय की सूचना निर्धारित बजट मैनुअल के प्रपत्रानुसार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(v) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो।

(vi) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो वेतन के साथ अनुमन्य हो, हेतु ही भुगतान किया जायेगा। अन्य मदों में व्यय हेतु फांट स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। 2

(vii) जिन कार्मिकों ने राजकीय दर पर पेंशन का विकल्प दिया है, उनके जीपीएफ की धनराशि उनके वेतन से काटकर राजकीय कोषागार में नियमित रूप से जमा कराया जाये, उसे अन्यत्र जमा न किया जाये।

(vii) इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित पदों, मदों पर ही किया जायेगा। अस्थायी रूप से इसका कोई भी भाग अन्य अनानुदानित पदों, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता, मानदेय कार्यों आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्ययार्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

(ix) स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 318/XXVII(1)/2014 दिनांकः 18 मार्च, 2014 में निहित प्राविधानानुसार तथा साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट एलॉटमेंट आई0डी0 संख्या– (प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–आयोजनागत्–03–कुमाऊँ विश्वविद्यालय–00–43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान की सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 637(1)/XXIV(6)/2014/10(4)12 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
5. कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।